Consumer goods makers out to woo the well-heeled

Suneera Tandon
suneera.t@htlive.com
NEW DELHI

Nestlé is set to launch its premium Nespresso coffees and machines in India.

India's top consumer goods makers are chasing a pot of gold, as a prosperous class rises. For long, companies concentrated on mass-market products such as powder detergents, shampoos and soaps aimed at millions of middle-income households. The focus is now shifting to premium products and new categories unavailable in India as yet.

Last week, Nestlé India said it is set to launch its premium Nespresso coffees and machines in India, citing a "surge" in in-home coffee consumption. The company said India is one of its fastest-growing coffee markets.

Today, premium products account for 12–13% of the company's sales—Nestlé expects this number to rise to 15–16% in the medium term and 20% in the long term, said Suresh Narayanan, chairman and managing director, Nestlé India said. Nestlé has identified premiumization, or the consumers' move towards more expensive products, as one of the growth engines that will accelerate its India business, the company had said earlier. Emerging categories such as premium coffee, health science, nutrition and pet care will drive Nestlé's premium play in India.

Emerging categories such as premium coffee, nutrition, and pet care will drive Nestlé's premium play in India

A recent report by venture fund Elevation Capital said India's top five million households, comprising 2% of the population, spend approximately $40 billion every year in discretionary purchases. Over the next decade, this expenditure will expand to $100 billion as their incomes grow, it said. The report specifically pointed out pet care and premium healthcare as categories that are likely to benefit from this surge in consumption.

Meanwhile, Hindustan Unilever Ltd (HUL) is rapidly entering new premium categories such as sun-care and hair serums. India's largest consumer goods maker is also looking at premium spaces within foods. The company will "premiumize more" across the board, as it chases greater growth in India. Premium products accounted for 33% of HUL's product mix in FY22, up from 22% in FY12.

"That's where we are investing further. Most of our market development bets are also in the premium space. It's roughly growing at two times above average (portfolio)," Rohit Jawa, CEO and managing director, HUL, said in an interview with *Mint* last week. Jawa said a new India is emerging, prompting companies like HUL to serve them better.

Indian spice exports raise a stink abroad

By Nandita Venkatesan
nandita.venkatesan@livemint.com

India's food safety regulator has ordered nationwide testing and inspections at all companies making spice mixes, Reuters reported on Thursday, as the country's popular spice brands face scrutiny for quality overseas. Hong Kong and Singapore have banned certain readymade spices from MDH and Everest, considered household names in India. The development is not good news for the world's largest spice producer and consumer: India exported spices worth $4.2 billion last fiscal, with close to 10% share in the country's agriculture exports basket. Yet quality concerns dog India's broader food exports segment, including spices. India's food exports to the US had the most pathogen-related rejections between 2002 and 2019. In the past year, EU countries rejected 141 food consignments from India. The Spices Board, responsible for testing and certification of export consignments, is short-staffed, with over a third of the sanctioned staff strength being vacant.

India's exports of spices hit a high last fiscal

India's export of spices

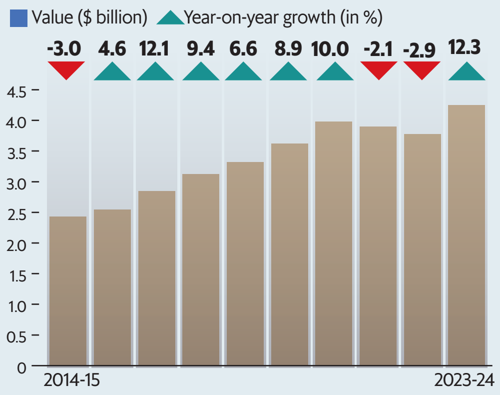

Some of India's top trading partners are also its biggest destinations for spices

Top 10 countries for spices exports, by value, in FY24 ($ million)

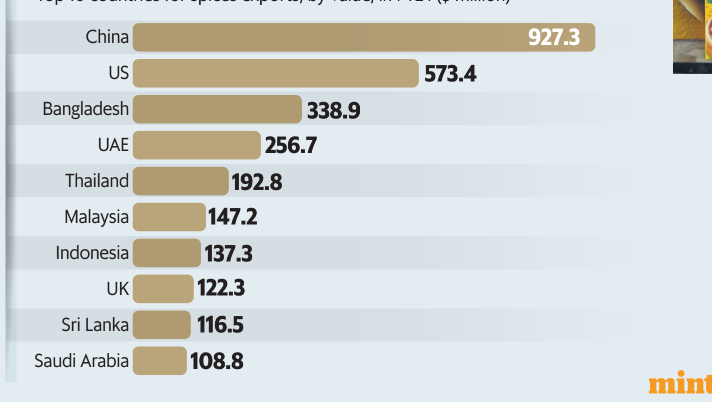

India has just nine quality evaluation labs to test quality of exported spices

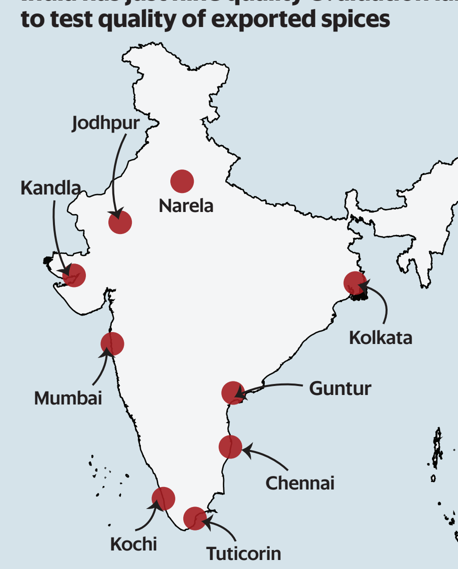

Common household masalas dominate India's spices exports basket

Item-wise export of spices from India, FY23*

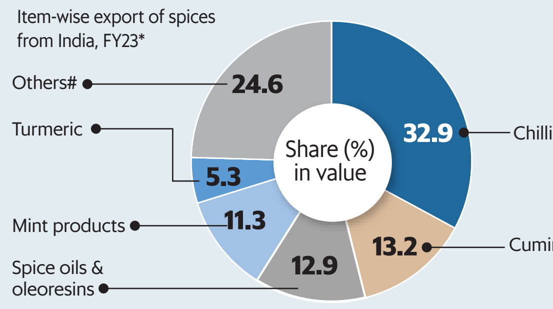

*Provisional data. #Others include pepper, cardamom, coriander, ginger, fenugreek, and fennel, among others.

Many Indian food products were not allowed to enter EU due to quality concerns

Number of Indian food consignments that were rejected by EU in the past year, risk category-wise*

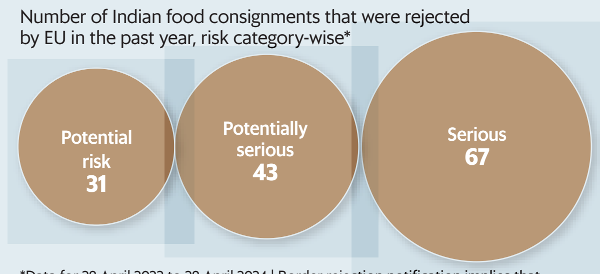

*Data for 28 April 2023 to 28 April 2024 | Border rejection notification implies that the food consignment was tested and rejected at the external borders of the EU and the European Economic Area when a health risk was found.

Local players 'spice up' the Indian market, not MNCs

Top five branded spices players*

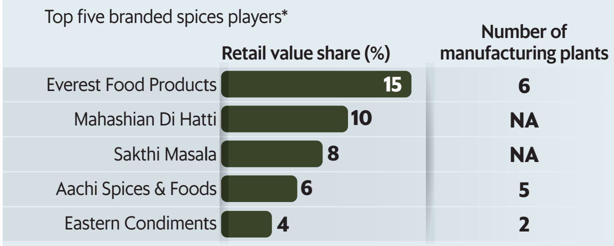

*Rank of top players based on 2021. Publicly available manufacturing sites data shown.
NA: Not available

Netherlands, France among nations that raised a stink about Indian food exports

Top five EU countries, by number of food consignments rejected due to risk factor in the past year*

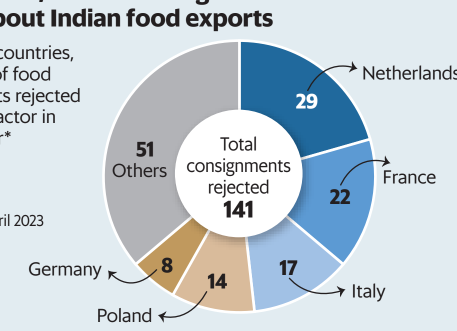

*Data for 28 April 2023 to 28 April 2024

Quality concerns abound

- **52:** Number of spices that come under the purview of Spices Board
- **36%:** Share of vacancies out of 379 sanctioned posts for the Spices Board as of March 2023.
- **5,115:** Number of food product consignments from India that were rejected by the US for pathogen-related violations between 2002 and 2019
- **22.9%:** India's share in overall import refusals among the US' food imports during the period
- **4,968:** Number of imported food products from India found contaminated with salmonella (2002-2019)

GRAPHIC: PARAS JAIN/MINT

Source: CMIE, Spices Board, Avendus, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), US Department of Agriculture, Mint research

mint lounge

DIGICONTENT LIMITED

CIN: L74999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, India
Tel: +91-11- 6656 1234 Fax: +91-11-6656 1270
Website: www.digicontent.co.in E-mail: investor@digicontent.co.in

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

(INR in Lakhs except earnings per share data)

Particulars	Quarter Ended			Year ended	
	31.03.2024 Audited (Refer Note 5)	31.12.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited (Refer Note 5)	31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
Revenue from Operations	11,800	10,800	9,137	41,456	34,927
Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional)	941	54	(154)	1,270	(1,237)
Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional)	941	54	(154)	1,270	(1,237)
Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional)	606	(55)	(212)	574	(1,285)
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	681	(35)	(205)	708	(1,152)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 2/- per share)	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164
Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet				(1,049)	(1,757)
Earnings/(Loss) per share (of INR 2/- each) Basic & Diluted	(not annualised) 1.04	(not annualised) (0.10)	(not annualised) (0.36)	0.99	(2.21)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.digicontent.co.in".
2. The above consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 2, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out an audit of above results pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time and have issued an unmodified opinion.
3. The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
4. Additional Information on Standalone financial results is as follows:- **(INR in Lakhs)**

Particulars	Quarter Ended			Year ended	
	31.03.2024 Audited (Refer Note 5)	31.12.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited (Refer Note 5)	31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
Revenue from Operations	36	39	37	158	158
(Loss) Before Tax	(402)	(375)	(385)	(1,497)	(1,434)
(Loss) After Tax	(402)	(375)	(385)	(1,497)	(1,434)
Total Comprehensive (Loss)	(402)	(373)	(383)	(1,493)	(1,430)

5. The figures of the quarter ended March 31, 2024 and March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto December 31, 2023 and December 31, 2022, being the end of the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review.

For and on behalf of the Board of Directors
Priyavrat Bhartia
Chairman
(DIN: 00020603)

Place: New Delhi
Date: May 2, 2024

Have fun with facts on Sundays

Catch the latest column of
HT TWTW
THE WEEK THAT WAS
A quiz on the week's development.

hindustantimes htTweets www.hindustantimes.com
HT FIRST VOICE. LAST WORD.

CENTRAL RAILWAY

E-Tender Notice No. NGP/L/2024/T/12 dated 29/04/2024

Name of Work: Provision of Roof Top ON Grid Solar Plant at Various Stations on Nagpur Division. **Tender Cost of Work:** ₹ 1,47,71,493.37. **Bid Security:** ₹ 2,23,900/-. **Cost of Tender Form:** ₹ Nil. **Completion Period:** 12 Months. **The offer will remain open for 60 days. Date & Time for Submission of Tender :** 22/05/2024 up to 11.00 hrs. **Date & Time of Opening of Tender:** 22/05/2024 up to 11.15 hrs. **Website Particulars:** **www.ireps.gov.in**

Sr.DEE(G)Nagpur

खतरनाक व विस्फोटक सामान के साथ यात्रा करना दंडनीय अपराध है

Sai/NGP/35

अधूरी केवाईसी वाले 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगी

सावधान

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। अधूरी केवाईसी के कारण करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड खातों पर रोक लगा दी गई है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन संस्थाओं की मानें तो इन खातों के निवेशकों ने प्रारंभिक केवाईसी पंजीकरण प्रक्रिया में आधार और मान्य दस्तावेजों की जगह अन्य दस्तावेज दिए थे।

एक अप्रैल 2024 से लागू सेबी के नियमों के मुताबिक, लंबित केवाईसी वाले निवेशक म्यूचुअल फंड में किसी तरह की लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इसमें नए म्यूचुअल फंड में निवेश या मौजूदा म्यूचुअल फंड से इकाइयों को भुनाना शामिल है।

पैन और आधार से केवाईसी अपडेट नहीं थी

पुन: केवाईसी कराने की जरूरत तब हुई, जब पाया गया कि कई निवेशकों की केवाईसी पैन और आधार से अपडेट नहीं थी। इनमें से कई केवाईसी में उपयोगिता बिल (बिजली, टेलीफोन), बैंक खाते का विवरण आदि के उपयोग किए गए थे। इन्हें अब सेबी द्वारा वैध दस्तावेजों के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। करीब 11 करोड़ निवेशकों में से 7.9 करोड़ वैध केवाईसी हैं। 1.6 करोड़ निवेशकों की केवाईसी पंजीकृत श्रेणी में है। जबकि, कुल निवेशकों में से 12 फीसदी अपने डीमैट खातों और म्यूचुअल परिसंपत्तियों का संचालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई भी लेन-देन करने से पहले म्यूचुअल फंड निवेशक के लिए केवाईसी स्थिति की जांच करना अहम है।

पंजीकृत केवाईसी स्थिति के मायने

इसका अर्थ है कि व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित या मान्य नहीं किया जा सकता है। यह उन लोगों के ऊपर लागू होता है, जिन्होंने केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पते और पहचान प्रमाण के तौर पर पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र आदि आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों के अलावा दस्तावेज दिए हैं। अगर, केवाईसी की स्थिति केवाईसी निबंधित या वैध है तो उनके मौजूदा निवेशों पर असर नहीं पड़ेगा। अगर वे नई म्यूचुअल फंड योजना में निवेश करना चाहते हैं तो उन्हें फिर से केवाईसी से जुड़े दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति पैन और आधार जमा करके फिर से केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

ऐसे जानें अपनी स्थिति

1. किसी भी केआरए वेबसाइट पर जाएं। उदाहरण के लिए (www.CVLKRA.com) पर जाएं। यहां अपनी केवाईसी स्थिति देख सकते हैं।
2. सीवीएलकेआरए वेबसाइट पर बने केवाईसी इन्क्वायरी टैब पर क्लिक करें।
3. नया वेबपेज खुलेगा। यहां पैन नंबर दर्ज कर कैप्चा भरें और सब्मिट पर क्लिक करें।
4. दर्ज पैन नंबर के आधार पर केवाईसी की स्थिति कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगी। एक निवेशक की केवाईसी स्थिति तीन श्रेणियों में से कोई भी हो सकती है-वैध, निबंधित या लंबित।

केवाईसी लंबित होने का अर्थ

प्रारंभिक केवाईसी के दौरान उपलब्ध कराए गए दस्तावेज आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज नहीं हैं तो केवाईसी लंबित दिखेगा। अमान्य दस्तावेजों में बैंक खाता विवरण, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि हैं। इन दस्तावेजों को दिए जाने के कारण केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं होती। हालांकि केवाईसी तब भी लंबित हो सकती है, जब निवेशक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मान्य न हो। लंबित केवाईसी स्थिति के कारण जरूरी दस्तावेज जमा होने तक सभी वित्तीय और कुछ गैर-वित्तीय लेन-देन पर रोक लगी रहेगी। मतलब एसआईपी लेन-देन, मोचन लेन-देन आदि प्रभावित होंगे।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स	निफ्टी
74611 +128.33	22648 +43.35

टॉप गेनर

कंपनी	बंद	बदलाव%	कंपनी	बंद	बदलाव%
पावरग्रिड	313.45	3.91	बीपीसीएल	635.35	4.61
एशियन पेंट	2973.80	3.36	पावरग्रिड	313.05	3.71

टॉप लूजर

कंपनी	बंद	बदलाव%	कंपनी	बंद	बदलाव%
कोटक बैंक	1575.80	-2.95	कोटक बैंक	1578.00	-2.83
एक्सिस बैंक	1149.75	-1.41	टाटा कंज्यू	1092.45	-1.43

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	72,350	+500
चांदी	83,500	+400

करेंसी
डॉलर/रुपया
83.46 -0.03

म्यूचुअल फंड उल्लंघन मामला निपटाया

नई दिल्ली। आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और चार अन्य लोगों ने म्यूचुअल फंड नियमों के कथित उल्लंघन के एक मामले का सेबी में निपटान किया है। इसके लिए सभी ने निपटान शुल्क के रूप में संयुक्त रूप से 1.02 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इनमें एमांडी शंकर राव, प्रसन्न प्रकाश पांडा, अनिल कुमार तनेजा और सुमिरन बंसल शामिल हैं।

फर्जी कंपनियों पर लगाम के लिए बैठक आज

नई दिल्ली। जीएसटी के केंद्रीय एवं राज्य अधिकारियों की शुक्रवार को होने वाली बैठक में फर्जी कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए सख्त पंजीकरण मानदंड जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में इसका आयोजन होगा। इसमें आईटीसी के रिफंड का दावा करने के लिए ही फर्जी कंपनियां बनाने पर लगाम लगाने के उपायों पर चर्चा होगी।

सोने में 500 रुपये का उछाल, चांदी भी चमकी

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 500 रुपये की मजबूती के साथ 72,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पिछले कारोबारी सत्र में सोना 71,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 400 रुपये मजबूत होकर 83,500 रुपये प्रति किलो हो गयी। इससे पूर्व यह 83,100 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

दो हजार रुपये के 97.76% नोट वापस आए

मुंबई। आरबीआई ने गुरुवार को कहा कि बंद किए गए 2000 रुपये के 97.76 प्रतिशत नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया कि सिर्फ 7,961 करोड़ रुपये के नोट अभी जनता के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई, 2023 को यह नोट वापस लेने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक के अनुसार, 30 अप्रैल 2024 को बाजार में सिर्फ 7,961 करोड़ रुपये के नोट बाजार में हैं।

देश का सेवा निर्यात मार्च में 30 अरब डॉलर पर

मुंबई। देश का सेवा निर्यात मार्च में 1.3 प्रतिशत घटकर 30 अरब डॉलर रहा। वहीं आयात 2.1 प्रतिशत कम होकर 16.61 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के देश के अंतरराष्ट्रीय सेवा व्यापार के आंकड़ों के अनुसार, इस साल मार्च में 13.4 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष रहा।

सोने का मूल्य निर्धारण करते समय सतर्कता बरतने का निर्देश

गोल्ड लोन बांटने वाली फिनटेक पर शिकंजा

सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने गोल्ड लोन वितरण में सामने आ रही खामियों को लेकर बैंकों और फिनटेक स्टार्टअप को चेतावनी जारी की है। केंद्रीय बैंक ने सोने के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। खासकर ऐसे मामलों में जहां गोल्ड कंपनियों के क्षेत्रीय एजेंट काम कर रहे हैं।

देश में कई ऐसे फिनटेक स्टार्टअप हैं, जो बैंकों और एनबीएफसी के लिए गोल्ड लोन बांटते हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद सभी बैंक, फिनटेक कंपनियों के साथ इन मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो बैंक गोल्ड लोन वितरण पर अस्थायी रोक भी लगा सकते हैं।

दरअसल, कई फिनटेक कंपनियां ग्राहक के कर्ज की मांगों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन के अलावा पर्सनल लोन भी देती हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक खतरे का संकेत हो सकता है।

कई और कंपनियों पर कार्रवाई संभव

गौरतलब है कि आईआईएफएल फाइनेंस मामले के बाद आरबीआई गोल्ड लोन वितरण की बारीकी से जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर भी आरबीआई की कार्रवाई देखने को मिल सकती है और वे जांच के दायरे में आ सकती हैं। हालांकि, बैंकों ने फिनटेक के जरिए गोल्ड लोन को बंद नहीं किया है।

धांधली में कई नामी कंपनियां शामिल

आरबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि गोल्ड लोन देने में बैंकों और एनबीएफसी द्वारा नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है। ये वित्त कंपनियां जानबूझकर सोने की कम कीमत आंक रही हैं, जिससे ग्राहकों को कर्ज की रकम कम मिल रही है। इस धांधली में कई नामी गोल्ड लोन कंपनियां शामिल हैं। इतना ही नहीं कर्ज की रकम 20 हजार रुपये से अधिक का नकद कर्ज देते हुए पाया है। कुछ मामलों में यह राशि एक लाख रुपये से भी अधिक भी रही है।

ये गड़बड़ियां सामने आईं

- कुछ कंपनियां ग्राहकों के सोने की कीमत कम आंक रही हैं। इसके लिए लोन-टू वैल्यु रेश्यो (एलटीवी) में गड़बड़ी करती हैं। यह रेश्यो बताता है कि गिरवी रखे सोने के बदले अधिकतम कितना लोन मिल सकता है।
- कुछ कंपनियां सोने की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाती हैं। कई बार 22 कैरेट सोने के आभूषणों को 20 या 18 कैरेट का बता दिया जाता है। इससे सोने का मूल्यांकन कम हो जाता है और उसे कम लोन मिलता है।

डेयरी उत्पादों, मसालों की जांच होगी

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रांडेड मसालों में मानदंडों के कथित उल्लंघन की जांच शुरू करने के बाद खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने घरेलू बाजार में बेचे जाने वाले फोर्टिफाइड चावल, डेयरी उत्पाद और मसालों जैसे अन्य खाद्य पदार्थों पर निगरानी शुरू करने की योजना बनाई है।

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फल और सब्जियों, मछली उत्पादों, मसालों और पाक जड़ी-बूटियों, पोषक तत्व से समृद्ध किए गए चावल, दूध तथा दुग्ध उत्पाद में साल्मोनेला जैसे खाद्य पदार्थों पर निगरानी की योजना बना रहा है।

ब्रांडेड मसालों की गुणवत्ता पर उठे थे सवाल

गौरतलब है कि पिछले महीने की शुरुआत में, हांगकांग और सिंगापुर की खाद्य सुरक्षा एजेंसियों ने दो भारतीय ब्रांड - एमडीएच और एवरेस्ट के कई प्रकार के प्री-पैकेज्ड मसाला-मिश्रण उत्पादों के नमूनों में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया था। इसके बाद एमडीएच के मद्रास करी पाउडर, एवरेस्ट फिश करी मसाला, एमडीएच सांभर मसाला मिश्रित मसाला पाउडर और एमडीएच करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर को वापस मंगाने का निर्देश दिया गया था।

सिंगापुर और हांगकांग द्वारा गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को देखते हुए एफएसएसएआई पहले से ही देशभर से एमडीएच और एवरेस्ट सहित सभी ब्रांड के पाउडर के रूप में मसालों के नमूने ले रहा है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि ये ब्रांड एफएसएसएआई मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। सूत्रों ने कहा कि एफएसएसएआई निर्यातित मसालों की गुणवत्ता को नियंत्रित नहीं करता है। पिछले सप्ताह एजेंसी ने कहा था कि वह नेस्ले के सेरेलैक बेबी अनाज के अखिल भारतीय नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया में है।

मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार 34वें माह तेजी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत के मैन्यूफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधि अप्रैल में धीमी रही, लेकिन फिर भी परिचालन स्थितियों में साढ़े तीन साल में दूसरा सबसे तेज सुधार दर्ज किया गया जिसे बढ़ती मांग का समर्थन मिला।

एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक अप्रैल में घटकर 58.8 हो गया जो मार्च में 59.1 था। सूचकांक लगातार 34वें महीने सकारात्मक रहा है। राजमार्गों, रेलवे, पावर प्लांट और बंदरगाहों जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकारी निवेश के दम पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। इनका रोजगार सृजन और आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू मांग बढ़ी है।

बजाज फाइनेंस की सेवा पर पाबंदी हटी

नई दिल्ली, एजेंसी। आरबीआई ने गुरुवार को बजाज फाइनेंस पर ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के माध्यम से कर्ज की मंजूरी और वितरण पर लगी पाबंदी हटा दी।

केंद्रीय बैंक ने पिछले साल नवंबर में बजाज फाइनेंस को अपने दो कर्ज उत्पादों - ईकॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत ऋण की मंजूरी और वितरण को रोकने का निर्देश दिया था। यह प्रतिबंध मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया था।

अपना देश

रिश्वत मामले में ईसीएल का डीजीएम गिरफ्तार

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने धनबाद में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के हरियाजाम कोयला खदान में तैनात एक उप महाप्रबंधक को कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

धनबाद के मुगमा क्षेत्र में ईसीएल के डीजीएम राम प्रकाश पांडे पर 50 प्रतिशत दिव्यांग सामान्य मजदूर से खदान में उसकी ड्यूटी बदलने के लिए 75,000 रुपये की रिश्वत आरोप था। अधिकारियों ने बताया कि मजदूर ने पांडे के खिलाफ शिकायत लेकर सीबीआई से संपर्क किया।

सत्यापन के बाद, सीबीआई ने जाल बिछाया और पांडे को शिकायतकर्ता से रिश्वत का आंशिक भुगतान प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंसी ने कहा, सीबीआई ने बाद में तलाशी ली जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद हुए।

हेरोइन जब्ती मामले में जवाब मांगा

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 से 2020 के बीच जब्ती रिकॉर्ड से 70,772.48 किलोग्राम हेरोइन के गायब होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर केन्द्र से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बी. आर. अरविंदाक्षन की याचिका पर नोटिस जारी किया है। पीठ ने केन्द्र को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता एक पत्रकार है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वर्ष 2018 से 2020 तक देश में हेरोइन की जब्ती के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट और गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी आंकड़ों के बीच भारी विसंगति है।

सरकार की डैशबोर्ड से हाईवे पर नजर रहेगी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। राष्ट्रीय राजमार्गों की भोगौलिक सूचना प्रणाली की मैपिंग प्रक्रिया से एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार ने डैशबोर्ड के जरिये प्रत्येक राजमार्ग पर नजर रखने का फैसला किया है। इसके तहत सभी केंद्रीय एजेंसियों के राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्राधिकार की मैपिंग के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव ने एजेंसियों को इस प्रक्रिया को 15 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं।

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया वर्तमान में देशभर में एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ और मंत्रालय देश के अलग-अलग हिस्से में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, रख रखाव, मरम्मत कार्य करता है। सभी राज्यों में क्षेत्रीय अधिकारी तैनात हैं, लेकिन कई बार हाईवे के क्षेत्राधिकार को लेकर गफलत पैदा होती है, जिससे मरम्मत के कार्य प्रभावित होते हैं। अधिकारी ने बताया कि 30 अप्रैल को जारी एसओपी में राजमार्गों के क्षेत्राधिकार तय हो जाएंगे।

सटीकता का आकलन

सड़क परिवहन क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने बताया कि राजमार्गों की जीआईएस मैपिंग से परियोजनाओं की डीपीआर की सटीकता का आकलन, भूमि अतिक्रमण, एडवांस योजना, नए एलाइनमेंट, भूमि अधिग्रहण आदि कार्यो को समयबद्ध पूरा किया जा सकेगा। इसमें फोटो, इमेज, वीडियो आदि की मदद से मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत और चालू परियोजनाओं की प्रगति स्क्रीन पर देखी जा सकेगी।

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सूचना

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची में विज्ञापन संख्या 03/स्थापना/2018 के द्वारा विज्ञापित जनरेटर ऑपरेटर के पद पर चयन, जनरेटर ऑपरेटिंग टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

जनरेटर ऑपरेटिंग टेस्ट का निर्धारित कार्यक्रम निम्नवत है :–

जनरेटर ऑपरेटिंग टेस्ट की तिथि : 18/05/2024

केन्द्र : झारखण्ड उच्च न्यायालय, धुरवा, रांची

उपस्थिति का समय : सुबह 09:00 बजे

उपरोक्त विज्ञापन में निर्धारित मानदंड को पूरा करने वाले योग्य उम्मीदवारों की सूची झारखण्ड उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर उपलब्ध है। योग्य उम्मीदवारों के जनरेटर ऑपरेटिंग टेस्ट का प्रवेश पत्र उनके दिए हुए पते पर डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। जिन उम्मीदवारों को जनरेटर ऑपरेटिंग टेस्ट का प्रवेश पत्र समय पर नहीं मिलता है, वे 16/05/2024 को सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक झारखण्ड उच्च न्यायालय, धुरवा, रांची के परिसर में आकर अपने जनरेटर ऑपरेटिंग टेस्ट का प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

जनरेटर ऑपरेटिंग टेस्ट का प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का अपने साथ कोई भी फोटो पहचान पत्र जैसे :– आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/वाहन चालक पहचान पत्र या अन्य की मूल प्रति लानी होगी।

विज्ञापन की निर्धारित मानदंड को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया है जिनकी सूची, अस्वीकृति के कारणों के साथ, अलग से झारखण्ड उच्च न्यायालय के वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है।

ह०/– महानिबंधक
झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
(पत्तन, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
ए–13, सेक्टर–1, नोएडा–201301 (उत्तर प्रदेश), दूरभाषः 0120 – 2474050 और 2544036

सूचना 1 मई, 2024

संदर्भः रोजगार सूचना संख्या भा.अ.ज.प्रा.-12013(11)/1/2022–प्रशासन दिनांक 16.02.2024

उपरोक्त के संदर्भ में, 03 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर **वैयक्तिक सहायक** के 03 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **24 मई, 2024** तक बढ़ा दी गई है।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया भा.अ.ज.प्रा. की वेबसाइट **www.iwai.nic.in** पर जाएं।

हस्ता./–
सचिव

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

-: निविदा सूचना :-

1- Vehicle Hiring Services के खरीद के सम्बन्ध में, (Bid No- GEM/2024/B/4866370 निवदा प्रारम्भ की तिथिः 17.04.2024, निविदा **समाप्ति की तिथिः** 07.05.2024

निविदा दस्तावेज़ की विस्तृत जानकारी जीईएम पोर्टल/सीपीपी पोर्टल और **www.aiimsrishikesh.edu.in** पर देखा जा सकता है।

सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे उक्त पोर्टल वैबसाइट के माध्यम/से निविदा में भाग लें।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश-249203

-: प्रवेश सूचना :-

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश जुलाई 2024 सत्र के लिए एम्स. ऋषिकेश में पोस्ट डोकटोरल फ़ेलोशिप कोर्स में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

महत्वपूर्णः विस्तृत जानकारी आदि के लिए सभी आवेदकों को नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट **(www.aiimsrishikesh.edu.in)** को देखने की आवश्यकता है क्योंकि बाद में सभी शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट/ अपडेट केवल वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

कार्यकारी निदेशक, एम्स ऋषिकेश।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश-249203

विज्ञप्ति संख्या 2024/15-17 **पुनर्विज्ञापन भर्ती नोटिस**

अ०भा०आ०वि०सं० ऋषिकेश में उप चिकित्सा अधीक्षक, रक्त आधान अधिकारी और प्रसवपूर्व चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदो को भरने के लिए सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्याः 2024/15-17 के तहत आवेदन प्रक्रिया को पुनः खोला जा रहा है और योग्य उम्मिदवारो से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन लिंक दिनांक **03.05.2024 (10:00) से 03.06.2024 (23:59)** तक संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।

योग्यता और अन्य पात्रता मानदंडों के विस्तृत विवरण के लिए कृपया संस्थान की वेबसाइटः **www.aiimsrishikesh.edu.in** देखें।

ध्यान दे : उपरोक्त जिन उम्मीदवारों ने पहले विज्ञापन के सन्दर्भ में लागू आवेदन शुल्क के साथ सफलतापूर्वक आवेदन किया है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इन उम्मीदवारों के लिए पात्रता मानदंड कट-ऑफ तिथि प्रारंभिक विज्ञापन, दिनांक **26.03.2024** के अनुसार रहेगी। हालांकि, नए उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ तारीख ओपनिंग नोटिस के अनुसार होगी।

कार्यकारी निदेशक
एम्स ऋषिकेश

DIGICONTENT LIMITED

CIN: L74999DL2017PLC322147
Registered Office: Hindustan Times House, 2nd Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001, India
Tel: +91-11- 6656 1234 Fax: +91-11-6656 1270
Website: www.digicontent.co.in E-mail: investor@digicontent.co.in

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2024

(INR in Lakhs except earnings per share data)

Particulars	Quarter Ended			Year ended	
	31.03.2024 Audited (Refer Note 5)	31.12.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited (Refer Note 5)	31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
Revenue from Operations	11,800	10,800	9,137	41,456	34,927
Profit/(Loss) for the period (before tax and exceptional)	941	54	(154)	1,270	(1,237)
Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional)	941	54	(154)	1,270	(1,237)
Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional)	606	(55)	(212)	574	(1,285)
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Loss) (after tax)]	681	(35)	(205)	708	(1,152)
Paid-up Equity Share Capital (Face Value - INR 2/- per share)	1,164	1,164	1,164	1,164	1,164
Other Equity excluding Revaluation Reserves as per the balance sheet				(1,049)	(1,757)
Earnings/(Loss) per share (of INR 2/- each) Basic & Diluted	(not annualised) 1.04	(not annualised) (0.10)	(not annualised) (0.36)	0.99	(2.21)

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.digicontent.co.in".
2. The above consolidated financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 were reviewed and recommended by the Audit Committee and were approved by the Board of Directors at their respective meetings held on May 2, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out an audit of above results pursuant to Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time and have issued an unmodified opinion.
3. The consolidated financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended from time to time.
4. Additional Information on Standalone financial results is as follows:- **(INR in Lakhs)**

Particulars	Quarter Ended			Year ended	
	31.03.2024 Audited (Refer Note 5)	31.12.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited (Refer Note 5)	31.03.2024 Audited	31.03.2023 Audited
Revenue from Operations	36	39	37	158	158
(Loss) Before Tax	(402)	(375)	(385)	(1,497)	(1,434)
(Loss) After Tax	(402)	(375)	(385)	(1,497)	(1,434)
Total Comprehensive (Loss)	(402)	(373)	(383)	(1,493)	(1,430)

5. The figures of the quarter ended March 31, 2024 and March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published year to date figures upto December 31, 2023 and December 31, 2022, being the end of the third quarter of the financial year, which were subjected to limited review.

For and on behalf of the Board of Directors
Priyavrat Bhartia
Chairman
(DIN: 00020603)

Place: New Delhi
Date: May 2, 2024